उत्तर प्रदेश शासन
चीनी उद्योग अनुभाग-1
संख्याः30/2021/1782/46-1-21-2501/2020
लखनऊ : दिनांक 06 अक्टूबर, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के अधीन संचालित विभिन्न संस्थाओं के अन्तर्गत परियोजना की स्थापना तथा कार्यालय व अन्य भवनों के विकास/ निर्माण के सम्बन्ध में स्थल चयन तथा विकास/निर्माण हेतु मूलभूत दिशा-निर्देश सम्बन्धी पूर्व निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्याः1533/46-1-20-2501/2020, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्याः1239/46-1-20-2501/2020, दिनांक 27 जुलाई, 2021 को अवक्रमित कर उक्त कार्यालय-ज्ञाप में दिये गये दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त कतिपय अन्य व आवश्यक दिशा-निर्देशों को समाहित करते हुए, परियोजना की स्थापना तथा कार्यालय व अन्य भवनों के विकास/निर्माण आदि के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त स्थल चयन तथा विकास/निर्माण हेतु मूलभूत दिशा-निर्देश एतद्द्वारा निम्नवत् निर्गत किये जाते हैं:-

(क) स्थल चयन संबंधी दिशा-निर्देशः

उक्त समस्याओं के निवारण एवं अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि की उपयोगिता, उपयुक्तता, ग्राह्यता तथा प्रस्तावित परियोजना की सफलता आदि को सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि स्थल चयन एवं परीक्षण हेतु समिति गठित की जाय। कोई भी भूमि अधिग्रहण एवं क्रय का प्रस्ताव इस समिति द्वारा भूमि उपयुक्त पाये जाने के उपरान्त ही तैयार किया जायेगा। चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के विभिन्न संगठनों के लिए निम्नवत् समितियां होंगीं:-

1. गन्ना विभाग के समस्त कार्यालय/अधिष्ठान हेतु

1.	अपर आयुक्त, गन्ना (प्रशासन)	अध्यक्ष
2.	वित्त नियंत्रक, गन्ना आयुक्त कार्यालय	सदस्य
3.	गन्ना आयुक्त कार्यालय के मुख्य अभियन्ता	सदस्य
4.	सम्बन्धित परिक्षेत्र के उप गन्ना आयुक्त	सदस्य
5.	सम्बन्धित जिले के जिला गन्ना अधिकारी।	सदस्य
6.	अपर जिलाधिकारी (भूमि अर्जन)/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2.	**<u>उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ हेतु</u>**	
1.	प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ	अध्यक्ष
2.	वित्त नियंत्रक, गन्ना आयुक्त कार्यालय	सदस्य
3.	प्रधान प्रबन्धक, परियोजना	सदस्य
4.	प्रधान प्रबन्धक, तकनीकी	सदस्य
5.	संबंधित इकाई के प्रधान प्रबन्धक	सदस्य
6.	संबंधित परिक्षेत्र के उप गन्ना आयुक्त	सदस्य
7.	अपर जिलाधिकारी (भूमि अर्जन)/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी	सदस्य
3.	**<u>उ.प्र. राज्य चीनी निगम हेतु</u>**	
1.	प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम	अध्यक्ष
2.	वित्त नियंत्रक, गन्ना आयुक्त कार्यालय	सदस्य
3.	निदेशक (वित्त)/प्रधान प्रबन्धक (वित्त), चीनी निगम	सदस्य
4.	प्रधान प्रबन्धक (परियोजना), चीनी निगम	सदस्य
5.	संबंधित इकाई के प्रधान प्रबन्धक	सदस्य
6.	अपर जिलाधिकारी (भूमि अर्जन)/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी	सदस्य
4.	**<u>उ.प्र. सहकारी गन्ना समिति संघ हेतु</u>**	
1.	प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी गन्ना समिति संघ	अध्यक्ष
2.	वित्त नियंत्रक, गन्ना आयुक्त कार्यालय	सदस्य
3.	महाप्रबन्धक, परियोजना	सदस्य
4.	संबंधित परिक्षेत्र के उप गन्ना आयुक्त	सदस्य
5.	अपर जिलाधिकारी (भूमि अर्जन)/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी	सदस्य
5.	**<u>गन्ना किसान संस्थान हेतु</u>**	
1.	निदेशक, गन्ना किसान संथान	अध्यक्ष
2.	उप निदेशक, गन्ना किसान संस्थान	सदस्य
3.	वित्त नियंत्रक, गन्ना आयुक्त कार्यालय	सदस्य
4.	संबंधित परिक्षेत्र के उप गन्ना आयुक्त	सदस्य
5.	अपर जिलाधिकारी (भूमि अर्जन)/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. <u>उ.प्र. गन्ना शोध परिषद हेतु</u>

1.	निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद	अध्यक्ष
2.	वित्त एवं लेखाधिकारी, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर	सदस्य
3.	महाप्रबन्धक, परियोजना	सदस्य
4.	संबंधित परिक्षेत्र के उप गन्ना आयुक्त	सदस्य
5.	अपर जिलाधिकारी (भूमि अर्जन)/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी	सदस्य

2. उक्त स्थल चयन समिति द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर गहन विचार-विमर्श किया जायेगा और अपनी अनुशंसा/प्रस्ताव अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से शासन को तत्काल प्रेषित किया जायेगाः-

(1) योजना प्रस्तावित करने से पूर्व योजना के आकार, उपयुक्तता, उपयोगिता तथा ग्राह्यता का सम्यक रूप से आंकलन।

(2) प्राथमिकता के आधार पर भूमि समतल एवं वर्गाकार/आयताकार हो।

(3) आवागमन एवं परिवहन की दृष्टि से उपयुक्त हो। योजना के एप्रोच रोड में किसी प्रकार की बाधा न हो एवं निकट भविष्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना न हो। परियोजना हेतु मुख्य मार्ग की चौडाई इस प्रकार हो की आमने-सामने से चलने वाले भारी वाहन बिना किसी गतिरोध के आ-जा सके।

(4) योजना में जल निकास की पर्याप्त विकल्प हों एवं उस क्षेत्र के एच.एफ.एल. से नीची न हो ताकि योजना में किसी प्रकार का जल भराव अथवा जल ठहराव की स्थिति उत्पन्न न हो।

(5) भूमि के वॉटर लेवेल का भी संज्ञान ले लिया जाये, जिससे परियोजना के निर्माण के समय कोई प्रतिकूल प्रभाव न पडे।

(6) योजना में जल निकासी, Drainage, Sewer and Effluents ट्रीटमेंट के पश्चात एकत्रित एफ्लूएण्ट निस्तारण के लिए प्राकृतिक स्रोत या वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध हो।

(7) बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत कोई बाधा न हो।

(8) भूमि के ऊपर विद्युत की ओवर हेड हाइटेन्शन लाईन (11/33/66/132 के.वी), टेलीफोन लाइन न जा रही हो तथा विद्युत पोल भी स्थापित न हो। उक्त के अतिरिक्त भूमि में कोई भूमिगत गैस पाईप लाईन अथवा नहर/ नाला/नदी आदि न जा रहा हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) को-जनरेशन प्लाण्ट की स्थापना हेतु विद्युत सब-स्टेशन से दूरी न्यूनतम हो तथा प्रस्तावित स्थल एवं विद्युत सब-स्टेशन के मध्य रेलवे ट्रैक न हो।

(10) प्रस्तावित भूमि में पूर्व निर्मित भवनों एवं स्ट्रक्चरों की संख्या ऐसी न हो कि परियोजना के स्वरूप पर अथवा अधिग्रहण की कार्यवाही पर इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

(11) भूमि, विवाद/मुकदमेंबाजी/ऋण/बन्धक मुक्त हो। जहां तक सम्भव हो सके किसी भी गाटे में बहुत अधिक हिस्सेदार न हों।

(12) प्रस्तावित स्थल पर परियोजना का निर्माण कराने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं एन.जी.टी. के मानक पूर्ण हों।

(13) भूमि का भू-उपयोग का परीक्षण कर लिया जाये तथा वह किसी No Construction Zone पर स्थित न हो।

(14) किसी अन्य कारण से अपेक्षित उद्देश्य हेतु उचित न हो।

(15) यथा सम्भव योजना के प्रयोजन को दृष्टिगत रखते हुए महायोजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग का अध्ययन करके ही अर्जन हेतु भूमि एवं स्थल का प्रस्ताव किया गया हो जिसमें अनावश्यक समय व्यर्थ न हो।

3. उक्त के सम्बन्ध में अब भू-अर्जन से सम्बन्धित शासन को जो भी प्रस्ताव प्रेषित किये जायेंगे उन्हे उक्त स्थल चयन समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर यथास्थिति विभागाध्यक्ष के माध्यम से शासन को तत्काल प्रेषित किया जायेगा।

4. ऐसे सभी मामले जिनमें भू-अर्जन अधिनियम की धारा-4 अथवा समतुल्य अधिसूचना जारी नहीं हुई हो, में सम्बन्धित समिति से परीक्षण करा लिया जाय तथा आख्या उपलब्ध कराई जाय।

5. गन्ना विभाग की परियोजनाओं, कार्यालय भवन व अन्य भवन हेतु जो भूमि क्रय की गयी हो अथवा अधिगृहीत की गयी हो, के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि राजस्व अभिलेखों में सम्बन्धित भूमि का नामान्तरण हो गया है।

(ख) <u>भवन निर्माण सम्बन्धी दिशा-निर्देशः</u>

1. भवन निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार आदर्श नक्शा तैयार किया जायेगा। नक्शा तैयार करने हेतु सर्वप्रथम On-Line निविदा द्वारा प्रतिष्ठित डिजाइनिंग संस्था को हायर किया जायेगा तथा उक्त चयनित संस्था भवन निर्माण स्थल की Soil Testing, Load bearing Capacity, Contour Servey, Water Analysis, Foundation Design व अन्य स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग का कार्य करते हुये भवन निर्माण पूर्ण होने तक अपनी डिजाइनिंग व तकनीकी सेवा प्रदान करेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. भवन निर्माण हेतु भू-खण्ड का 2/3 भाग भवन निर्माण एवं 1/3 भाग ओपन एरिया होगा किन्तु भवन हेतु कम जगह की उपलब्धता के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार ओपन एरिया कम किया जा सकता है, आवश्यकतानुसार लान की भी व्यवस्था की जायेगी।

3. भवन निर्माण के साथ-साथ बाऊन्ड्रीवाल का निर्माण कराया जाये जिससे भवन बनते ही राजकीय सम्पत्ति सुरक्षित रहें एवं उसके साथ-साथ यथोचित प्रजातियों के वृक्ष लगा दिये जाये। पेड़ों की दूरी इस प्रकार हो कि भविष्य में उनकी जड़े बाऊन्ड्रीवाल अथवा भवन को क्षतिग्रस्त न करें। उचित होगा कि अशोका पेन्डुलम के पेड़ बाऊन्ड्रीवाल के साथ-साथ लगा दिये जाये जिससे धूल आदि न आये।

4. भवन यदि एक मंजिल है अर्थात् भू-तल (Ground Floor) पर है, लेकिन भू-खण्ड 500 मीटर से बड़ा है अथवा भवन 12 वर्ग मीटर से ऊँचा है भले ही वह 500 वर्ग मीटर से कम है, दोनों स्थितियों में Foundation की डिजाइनिंग पर आवश्यकतानुसार विशेष ध्यान दिया जाये।

5. Foundation design] Parameter, Load bearing Capacity of Soil, Height of Building, Seismic Zone, Types of Soil आदि के अनुसार यथा आवश्यक Individual footing or Isolated footing, Combined footing, Strip Foundation, Box Foundation, Raft Foundation, Pile Foundation, Drilled Shafts or Caissons Foundation, Pier Foundation आदि का निर्धारण किया जाय।

6. भवन निर्माण हेतु कार्यस्थल के Seismic Zone को अगले Seismic Zone के मानकों के अनुसार डिजाइन किया जायेगा उदाहरणार्थ यदि कार्यस्थल Seismic Zone (4) में स्थित है तो समस्त डिजाइनिंग Seismic Zone (5) पांच के मानकों के अनुसार की जायेगी।

7. भवन निर्माण से पूर्व Anti Termite Treatment अवश्य करा लिया जाये।

8. बड़ा भवन यदि बहुमंजिला है तो उसमें बेसमेन्ट एवं स्टील्ट (Stilt) का निर्माण अवश्य कराया जायें तत्पश्चात् विभिन्न तलों (Floor) का निर्माण होगा जोकि G+5 लेवल (अर्थात् ग्राउन्ड फ्लोर+पांच फ्लोर कुल छः फ्लोर) तक Expandable होगा।

9. यदि भवन बड़ा है तो स्टील्ट (Stilt) में भी आवश्यकतानुसार स्टोर रूम, स्विच रूम, सिक्योरिटी रूम एवं दो अतिरिक्त रूम के साथ-साथ दो इलेट्रिक कार चार्जिग प्वाईन्ट भी होगें। सिक्योरिटी रूम का साईज 6X8 फिट एवं स्टोर रूम 10X10 फिट होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10. यदि भवन बड़ा है तो बेसमेन्ट में आवश्यकतानुसार पार्किंग, सर्विस रूम, लिफ्ट, गार्ड रूम, स्विच रूम, इलेट्रिक कार चार्जिंग प्वाईन्ट एवं जल संरक्षण हेतु एक भूमिगत टैंक बनेगा जिसमें वर्षा का जल स्टोर कर उसे फ्लश, कार वाश, गार्डन, सोलर पैनल की धुलाई हेतु प्रयुक्त किया जायेगा।

11. भवन के आवश्यकतानुसार Watch Tower किसी एक उपयुक्त कोने पर बताया जाये।

12. यदि भवन बड़ा है तो आवश्यकतानुसार Ground Floor पर रेस्टोरेन्ट, Commercial शाप, काफी शाप आदि की व्यवस्था की जायेगी।

13. यदि भवन बड़ा है तो First Floor पर इन्स्टीटयूशन जैसे बैंक, एल.आई.सी. आदि एवं उनके लिये स्टोरेज रूम, लाकर रूम, कैश चेस्ट रूम की व्यवस्था की जाय।

14. यदि भवन बड़ा है तो Second Floor पर आवश्यकतानुसार विभागीय कार्यालय यथा उप गन्ना आयुक्त, उप चीनी आयुक्त, जिला गन्ना अधिकारी, विभागीय अभियन्ता, सहायक चीनी आयुक्त, गन्ना समिति, गन्ना विकास परिषद आदि के कार्यालय होगें। प्रत्येक आफिस हेतु स्टोरेज स्पेस देना है। यथासम्भव रेडीमेट स्टील स्टोरेज कैबिनेट सर्वोत्तम है।

15 यदि भवन बड़ा है तो Third Floor पर यथा आवश्यकता अन्य विभागीय कार्यालय तथा यथा आवश्यक 100 से 200 व्यक्तियों की क्षमता वाला एक सभागार बनाया जाये।

16. बड़े भवनों हेतु, भवन में आवश्यक सुविधाओं यथा समस्त अधिकारियों के बैठने हेतु सभी प्रबन्ध कर लिये जाये किन्तु अनावश्यक अतिरिक्त कमरें एवं एक से अधिक मीटिंग हाल का निर्माण न किया जायें।

17. सभी विभागीय संगठनों के कार्यालय हेतु समुचित व्यवस्था की जाये किन्तु सामान्य सुविधाएं जैसे पैन्ट्री, मीटिंग हाल, पार्किंग इत्यादि पूरे भवन हेतु एक ही की जायेगी।

18. लिफ्ट एवं सीढियॉ दोनों का प्राविधान आवश्यक है। लिफ्ट का नियमित मेन्टीनेन्स एवं चेकिंग की जायें।

19. प्रत्येक बहुमंजिला भवनों में प्रत्येक तल पर महिलाओं एवं पुरूषों हेतु टायलेट की अलग-अलग व्यवस्था होगी। दिव्यांगजनों हेतु टायलेट एवं रैम्प की भी व्यवस्था होगी। टायलेट की टाईल्स की लेवलिंग इस प्रकार हो कि उसमें जल भराव जैसी समस्या उत्पन्न न हो। टायलेट आदि की सफाई की नियमित व्यवस्था हो। प्रत्येक फ्लोर पर टायलेट आदि का Signage आवश्यक है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

20. यथासम्भव भवन में L.E.D. लाईट लगाई जायें। आवश्यकतानुसार C.F.L/Spot Light लगायी जायें। पावर लाईट 15 एम्पियर की भवन लाइन व 05 एम्पियर की सामान्य लाइन होगी एवं दोनों की अर्थिंग की उचित व्यवस्था होगी। अर्थिंग हेतु 10 फीट नीचे कापर राड के चारों ओर बालू, नमक व कोयले (चूरा) की परत-दर-परत बिछाकर फुलप्रूफ व्यवस्था की जायें।

21. बिजली आपूर्ति हेतु यथा आवश्यकता भवन की छत पर सोलर पैनल एवं दीवारों पर फोल्डिग सोलर पैनल लगाये जायें। आऊट लाइन सोलर यू.पी.एस. की व्यवस्था भी की जायें। यथा सम्भव Green Energy Building तैयार की जाये।

22. बड़े भवनों की बिल्डिग में तीन कापर लाइन चलेगी। इसके अतिरिक्त एल.ई.डी., नेटवर्किग, पी. एण्ड टी., इन्टरकाम, सी.सी.टी.वी. कैमरे हेतु पृथक लाइन होगी।

23. सर्वर रूम में ए.सी., सी.सी.टी.वी. व पी.बी.एक्स. की लाइन का प्राविधान होगा। सर्वर रूम हेतु डेडिकेटिड लाइन आयेगी जिससे सर्वर को निर्बाध करन्ट मिलती रहें। स्विच बोर्ड प्रत्येक तल पर होगा एवं उसके लिये एक निश्चित स्थान होगा।

25. भवन में पानी की दो लाइन होगी, एक पीने हेतु एवं दूसरी फ्लश, वाशवेसिन आदि हेतु। छत पर रखी पानी की टैंक की भी उचित Caging कराई जायेगी। पानी की फिटिग अत्यन्त उच्च गुणवत्ता की कराई जाये जिससे भविष्य में लीकेज व सीलन आदि की समस्या उत्पन्न न हो। भवन के सभी पानी के टैंको की समय-समय पर सफाई कराना सुनिश्चित किया जाये।

26. भवन में सेन्ट्रल ए.सी. की व्यवस्था हो एवं ऐसा प्राविधान भी हो कि जिस फ्लोर अथवा भवन के किसी पार्ट में ए.सी. बन्द करना हो तो उसे बन्द किया जा सके।

27. फायर सेफ्टी हेतु अग्निशमन यंत्र प्रत्येक फ्लोर पर निश्चित स्थान पर लगाये जाये। फायर अलार्म थर्मल एवं स्मोक दोनों प्रकार के होगे। फायर अलार्म सिस्टम इस प्रकार हो कि फायर अलार्म की सूचना सम्बन्धित मोबाइल नम्बर पर एवं फायर स्टेशन पर तुरन्त पहुंच जाये जिससे किसी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके।

28. भवन का ओरियेन्टेशन (Orientation) इस प्रकार होना चाहिये कि भवन प्राकृतिक रूप से प्रकाशयुक्त एवं हवादार हो। इस हेतु यथासम्भव Glass Windows लगाई जाय जिससे प्रत्येक फ्लोर में भी प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

की जाय, Glass Windows हेतु यथा सम्भव Readymade Steel Frame की व्यवस्था की जाय।

29. खिड़कियों पर पानी रोकने हेतु आनिंग (Awning) करायी जाय (केवल ग्राउन्ड फ्लोर छोड़कर)। पेस्ट कन्ट्रोल का कार्य किचन के पास कराया जाय।

30. छत पर Water Proffing Treatment (मड़फस्का) का कार्य अनिवार्य रूप से कराया जाये।

(ग) परियोजना की स्थापना एवं विकास कार्य हेतु अतिरिक्त बिन्दु

(1) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूमि आदि का परीक्षण किसी प्रतिष्ठित संस्था/ पार्टी से कराया जाये।

(2) ले-आउट प्लान, PERT एवं CPM का भलीभांति परीक्षण किया जाये। परियोजना की प्रगति की पाक्षिक समीक्षा अनुबन्ध की शर्तो एवं PERT एवं CPM में उल्लेखित समय सारणी के अनुसार किया जाये।

(3) सभी ड्राईंगों का परीक्षण अनुबन्ध में वर्णित यंत्र-सयंत्रो Specifications के अनुसार किया जाये।

(4) मुख्य-मुख्य यंत्र-सयंत्रो का पार्टी के कार्यशाला पर अनुबन्ध में उल्लेखित Specifications व शर्तो के अनुसार परीक्षण Inspection Agency द्वारा कराने के पश्चात् एवं उपयुक्त पाये जाने के पश्चात् ही यंत्र-सयंत्रो का Dispatch किया जाये।

(5) चीनी मिल स्तर पर प्राप्त हो रहे यंत्र-सयंत्रो/समानो का भण्डारण एवं उनका रखरखाव उचित प्रकार से किया जाये।

(6) सभी प्रकार की एन.ओ.सी. प्राप्त करने हेतु विभिन्न विभागों से ससमय सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(7) निर्माण कार्य के दौरान प्रत्येक स्तर पर सुरक्षा के मानकों का पालन किया जाये।

(8) निर्माण प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रत्येक स्थल को आपसी रुप से भली-भांति कनेक्ट किया जाये।

(9) निर्माण सामग्री यथा ईंट, मौरंग, गिट्टी, बजड़ी, सरिया, सीमेन्ट आदि के अतिरिक्त स्ट्रक्चरल स्टील उत्कृष्ट गुणवत्ता की क्रय की जाये।

(10) कन्करीट मिक्सचर का प्रमुख कार्यों हेतु प्रयोग किया जाये तथा वाइब्रेटर का भी प्रयोग यथा आवश्यक जरूर किया जाये। ईंट आदि मैटीरियल की गुणवत्ता की प्रतिष्ठित प्रयोगशाला में जाँच भी अवश्य करायी जाये।

(11) आर.सी.सी./प्लास्टर एवं ईटों की जुड़ाई उपरान्त पानी से भरपूर तराई करायी जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(12) प्रमुख कन्करीट कार्य यथा सी.सी. रोड, आर.सी.सी. कॉलम एवं फाउन्डेशन की मजबूती की सरकार से अनुमन्य प्रयोगशाला में जाँच करायी जाये।

(13) इरेक्शन कार्य में उत्कृष्ट गुणवत्ता के वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाये।

(14) भारी उपकरणों की लिफ्टिंग आदि के मूवमेन्ट में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाये।

(15) परियोजना कार्य में कार्यरत् कर्मकारों की सुरक्षा, आवास एवं बीमा आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(16) परियोजना स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था हो तथा आपात स्थिति में निकटवर्ती शहर में चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने हेतु वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

6. उपर्युक्तानुसार प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु निम्नानुसार निरीक्षण/सत्यापन के उपरान्त ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार भुगतान किए जायेंगें तथा भवन निर्माण के दौरान निम्नांकित प्रत्येक स्तर पर साफ एवं स्पष्ट फोटोग्राफ्स दिनांक सहित पत्रावली पर अनुरक्षित किए जाएः-

(1) निर्माण सामग्री यथा ईंट, कोर्स सैण्ड (मौरंग), गिट्टी, बजरी, सरिया, सीमेण्ट बैग आदि के आपूर्ति के दौरान लिए गए फोटोग्राफ्स।

(2) नींव खुद जाने के उपरान्त नींव की चौड़ाई एवं गहराई प्रदर्शित करते हुए लिए गए फोटोग्राफ्स।

(3) नींव में बेस कण्क्रीट डालते हुए लिए गए फोटोग्राफ्स।

(4) फाउन्डेशन कार्य के फोटोग्राफ्स।

(5) नींव में व ग्राउण्ड लेवल तक ईंट चुनाई के लिए गए फोटोग्राफ्स।

(6) प्लिंथ तैयार हो जाने पर लिए गए फोटोग्राफ्स।

(7) प्लिंथ में मिट्टी भराई, बालू भराई एवं रैमिंग कार्य के लिए गए फोटोग्राफ्स।

(8) सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क, लिन्टेल्स, बीम, शटरिंग एवं छत में आर.सी.सी. कार्य से पूर्व स्टील रेन्फोर्समेंट तथा आर.सी.सी. कार्य में प्रगति के दौरान लिए गए फोटोग्राफ्स।

(9) प्लास्टर कार्य के दौरान लिए गए फोटोग्राफ्स।

(10) फर्श के नीचे गिट्टी डालते एवं कुटाई के फोटोग्राफ्स।

(11) विद्युतीकरण, वाटर सप्लाई हेतु आपूर्तित पाईप्स, सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट् के फोटोग्राफ्स।

(12) फिनिशिंग कार्यों के फोटोग्राफ्स।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(अ) उपर्युक्तानुसार क्रमांक-(1) से (6) पर अंकित कार्य के दौरान व कार्य सम्पन्न होने पर निर्माण कार्य एवं सामग्री की गुणवत्ता के सम्बन्ध में सम्बन्धित गन्ना समिति की प्रबन्ध कमेटी द्वारा नामित दो संचालक सदस्य, मंत्री/ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, सचिव, गन्ना समिति, अवर अभियन्ता व सहायक अभियन्ता के संयुक्त सत्यापन के उपरान्त गुणवत्ता के सम्बन्ध में आख्या उपर्युक्तानुसार वर्णित फोटोग्राफ्स के साथ मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाए। परियोजना हेतु चीनी मिल परियोजना के प्रधान प्रबन्धक, मुख्य अभियन्ता एवं सिविल अभियन्ता की समिति गठित की जायेगी। उपर्युक्तानुसार क्रमांक-(6) पर अंकित कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त निरीक्षण के 48 घण्टे के अन्दर निरीक्षण आख्या मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाए।

(ब) उपर्युक्तानुसार क्रमांक-(7) से (9) पर अंकित कार्य के दौरान व कार्य सम्पन्न होने पर निर्माण कार्य एवं सामग्री की गुणवत्ता के सम्बन्ध में सम्बन्धित गन्ना समिति की प्रबन्ध कमेटी द्वारा नामित दो संचालक सदस्य, मंत्री/ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, सचिव, गन्ना समिति, अवर अभियन्ता व सहायक अभियन्ता तथा जिला गन्ना अधिकारी व अधिशासी अभियन्ता के संयुक्त सत्यापन के उपरान्त गुणवत्ता के सम्बन्ध में आख्या उपर्युक्तानुसार वर्णित फोटोग्राफ्स के साथ मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाए। परियोजना हेतु चीनी मिल परियोजना के प्रधान प्रबन्धक, मुख्य अभियन्ता एवं सिविल अभियन्ता की समिति गठित की जायेगी। उपर्युक्तानुसार क्रमांक-(7) पर अंकित कार्य सम्पन्न होने अर्थात छत का ढोला खुलने के उपरान्त निरीक्षण के 48 घण्टे के अन्दर एवं क्रमांक-9 तक कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त निरीक्षण के 48 घण्टे के अन्दर निरीक्षण आख्या मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाए।

(स) उपर्युक्तानुसार क्रमांक-(10) से (11) पर अंकित कार्य के दौरान व कार्य सम्पन्न होने पर निर्माण कार्य एवं सामग्री की गुणवत्ता के सम्बन्ध में सम्बन्धित गन्ना समिति की प्रबन्ध कमेटी द्वारा नामित दो संचालक सदस्य, मंत्री/ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, सचिव, गन्ना समिति, अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, जिला गन्ना अधिकारी तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त व अधिशासी अभियन्ता के संयुक्त सत्यापन के उपरान्त गुणवत्ता के सम्बन्ध में आख्या उपर्युक्तानुसार वर्णित फोटोग्राफ्स के साथ मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाए। परियोजना हेतु चीनी मिल परियोजना के प्रधान प्रबन्धक, मुख्य अभियन्ता एवं सिविल अभियन्ता की समिति गठित की जायेगी। उपर्युक्तानुसार क्रमांक-(11) पर अंकित कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त निरीक्षण के 48 घण्टे के अन्दर निरीक्षण आख्या मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उपर्युक्तानुसार निर्माण में प्रयुक्त सामग्री व कार्य की गुणवत्ता, वित्तीय अनुशासन, समयान्तर्गत कार्य पूर्ण हाने का उत्तरदायित्व उपर्युक्तानुसार वर्णित सभी अधिकारियों का होगा तथा कार्य सम्पन्न हो जाने के उपरान्त उससे सम्बन्धित फोटोग्राफ्स व 'कार्य पूर्ण गुणवत्ता, वित्तीय अनुशासन के साथ समयान्तर्गत पूर्ण हुआ है' सम्बन्धी प्रमाण-पत्र के साथ सम्बन्धित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगें।

कृपया तात्कालिक प्रभाव से उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

संजय आर. भूसरेड्डी

अपर मुख्य सचिव।

संख्याः30/2021/1782(1)/46-1-2021, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचर्ना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त, गन्ना उत्पादक मण्डल, उ.प्र.।
2. समस्त जिला अधिकारी, गन्ना उत्पादक जिले, उ.प्र.।
3. आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम, लखनऊ।
6. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर।
7. विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
8. वित्त नियंत्रक, गन्ना आयुक्त उ.प्र.।
9. समस्त परिक्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त।
10. समस्त अनुभाग अधिकारी, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

डॉ. रूपेश कुमार

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in